न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 78/2010 अपील/बांसवाड़ा
पंजीयन दिनांक– 19.08.2010
निर्णय दिनांक– 04.09.2019

1. श्रीमती निर्मला पुत्री विठला भील निवासी सुरवानिया
2. श्रीमती रमिला पुत्री विठला भील निवासी सुरवानिया
3. श्रीमती मोती पुत्री विठला भील निवासी सुरवानिया
4. श्रीमती रूपा पुत्री विठला भील निवासी सुरवानिया
5. श्री लक्ष्मण पिता गला भील निवासी सुरवानिया
6. श्री शंकर पिता गला भील निवासी सुरवानिया
7. श्रीमती लाड़की बेवा श्री वाला भील निवासी सुरवानिया
8. श्रीमती रमतु पत्नी श्री शंकरलाल भील, निवासी सुनवानिया

सभी तहसील व जिला बांसवाड़ा

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री गोविन्द उर्फ गोनजी पिता जीवा भील
2. श्री नाथु पिता जीवा भील
3. श्री नानू श्री जीवा भील
4. श्री नंगजी श्री जीवा भील
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बांसवाड़ा

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

श्री महेश भट्ट : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री रोशनलाल जैन : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4
श्री योगेन्द्र दशोरा : राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5

अपील अन्तर्गत धारा 75 एफ राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, बांसवाड़ा
के प्रकरण संख्या 17/2009 निर्णय दिनांक 08.07.2010

निर्णय

दिनांक– 04.09.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 एफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार, बांसवाड़ा के प्रकरण संख्या 17/2009 निर्णय दिनांक 08.07.2010 के विरूद्ध दिनांक 19.08.2010 को पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया सहिता के साथ पेश की गई है।

इस प्रकरण के प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादग्रस्त भूमि मूल रूप से श्री नाथू पिता फुला भील के नाम दर्ज थी, अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्री नाथू द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 08.01.1971 को श्री जीवा पिता कालीया भील निवासी सुरवानिया के नाम किया गया। श्री जीवा का स्वर्गवास हो जाने से रेस्पोडेन्ट्स (अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट) ने विवादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.07.2010 से रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 08.01.1971 के आधार पर रेस्पोडेन्ट के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से श्री रोशनलाल जैन ने वकालत पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 सरकार की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र दशोरा ने उपस्थिति दी।

इस न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 पर उभयपक्षों को सुना गया एवं आदेश दिनांक 09.02.2012 से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09.02.2012 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई। न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 2115/2012 जिला बांसवाड़ा निर्णय दिनांक 15.02.2018 से माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी खारिज करते हुए इस न्यायालय का आवेदन

स्वीकृति आदेश बहाल रखते हुए रेस्पोडेन्ट को रिबटल में दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देने के निर्देश दिये। उक्त निर्देशों की पालना में दिनांक 02.08.2019 को रेस्पोडेन्ट द्वारा दस्तावेजात पेश किये गये, जिन्हें रेकर्ड पर लिया गया।

दिनांक 29.08.2019 को उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपने अपील मेमों के तथ्यों का ही दौहराव करते हुए प्रमुख रूप से अधीनस्थ न्यायालय के श्रवणाधिकार विहिन आदेश को प्रारम्भ से प्रभाव शून्य होना बताते हुए निवेदन किया कि आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल है। अपीलार्थीगण को जो आदेश पारित किया गया है, उस पर सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। आदेश नोन स्पीकिंग है। अपीलार्थीगण को दिनांक 22.02.2010 को जो नोटिस दिया गया, उसमें सिर्फ रमतू के नाम भूमि दर्ज होने के आधार पूछे गये, परन्तु उक्त बिन्दु से पृथक जाकर त्रुटिपूर्ण निर्णय कर दिया। विवादित बख्शीश नामा 39 वर्ष पुराना होकर उसके आधार पर नामान्तरकरण दर्ज होकर अपास्त होने के बावजूद उसी बख्शीश नामा के आधार पर पुनः नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। पंचायत के नामान्तरकरण के विरासत के निर्णय के नामान्तरकरण की अपील का श्रवणाधिकार तहसीलदार का है ही नहीं। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व घटनाक्रम को नहीं बताकर अपूर्ण तथ्यों के आधार पर अपना आवेदन पेश किया।

इसके विरूद्ध वकील रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपीलान्ट द्वारा श्रवणाधिकार बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में भाग ले लेने के कारण निर्णय उचित होना बताया तथा बख्शीश नामा अस्तित्व में होने के कारण उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण को उचित बताया तथा अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

प्रकरण में हमारे द्वारा समायतशुदा बहस, पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में वस्तुतः मृतक नाथू द्वारा जीवा के पक्ष में एक बख्शीश नामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 188 दर्ज होकर दिनांक 01.06.1971 से ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण जीवा के पक्ष में तस्दीक हुआ। नामान्तरकरण संख्या 209 के द्वारा जिलाधीश के आदेश दिनांक 27.03.1974 से जीवा का नाम निरस्त करते हुए पुनः भूमियॉ जीवा से नाथू के नाम दर्ज हो गई। नामान्तरकरण संख्या 316 से नाथू से विरासत के आधार पर अपीलान्ट/ उनके पूर्वज विठला व वाला जो कि नाथू के भतीजे है, उनके नाम दिनांक 09.01.1979 को पंचायत द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया गया अर्थात् यह सुस्पष्ट होता है कि नाथू के बख्शीश नामा जीवा के पक्ष में के नामान्तरकरण का आदेश अपास्त होकर

भूमियॉ पुनः नाथू के नाम दर्ज हुई तथा नाथू की विरासत से भूमियॉ उसके भतीजों के नाम वर्ष 1979 में ही दर्ज हो गई। उक्त वर्ष 1979 के नामान्तरकरण के विरूद्ध दिनांक 29.06.2009 को रेस्पोडेन्ट जीवा के वारिसान के द्वारा जीवा के पक्ष में नाथू द्वारा किये गये बख्शीश नामे के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का निवेदन उपखण्ड अधिकारी को किया तथा उक्त आवेदन को उपखण्ड अधिकारी के द्वारा तहसीलदार, बांसवाड़ा को भिजवाया गया तथा तहसीलदार, बांसवाड़ा के द्वारा विधिक एवं सम्यक नोटिस वर्ष 1979 से दर्ज नाथू के विरासतधारी खातेदारान को नोटिस दिये बिना अर्थात् अपूर्ण नोटिस देकर सम्यक सुनवाई के बिना वर्ष 1979 के नामान्तरकरण को अपास्त कर पुराने बख्शीश नामे वर्ष 1971 के आधार पर भूमियॉ जीवा के पक्ष के बख्शीश नामे के आधार पर जीवा के वारिसान के नाम दर्ज कर दी।

प्रकरण में हम अन्य उजरात पर विवेचन से पूर्व सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय के श्रवणाधिकार पर विवेचन करना उचित समझते है। प्रकरण में जैसा हमारे द्वारा पूर्व में विवेचन किया गया है, हम यह पाते है कि बख्शीश नामे के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 188 जो कि 01.06.1971 को पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 188 जिला कलक्टर के आदेश 27.03.1974 से अपास्त होकर नामान्तरकरण संख्या 209 से दिनांक 15.04.1974 को भूमियॉ पुनः जीवा से नाथू के नाम आ गई। नाथू की विरासत से भूमियॉ उसके भतीजों के नाम नामान्तरकरण संख्या 316 से दिनांक 09.01.1979 को अपीलान्ट/ उनके पूर्वज के नाम दर्ज हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 316 जो कि पंचायत द्वारा दिनांक 09.01.1979 को तस्दीक किया गया, उसे प्रत्यक्षतः/ अप्रत्क्षतः अपास्त करते हुए भूमियों को नाथू के बख्शीशनामा जो कि जीवा के पक्ष में किया गया था, उसके आधार पर जीवा के वारिसान के नाम दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 1971 एवं 1974 के नामान्तरकरणों बाबत् कोई स्थिति प्रस्तुत नहीं हुई, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पंचायत द्वारा तस्दीक नाथू की विरासत नामान्तरकरण संख्या 316/ 09.01.1979 की स्थिति का आंकलन कर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार पंचायत के नामान्तरकरण निर्णय की अपील का श्रवणाधिकार तहसीलदार का है ही नहीं, वह अधिकार उपखण्ड अधिकारी का है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत के नामान्तरकरण निर्णय की सुनवाई को सक्षम ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यक्षतः न सिर्फ 1979 के पंचायत के नामान्तरकरण के निर्णय की श्रवणाधिकार विरूद्ध अपील सुनी है बल्कि रेस्पोडेन्ट द्वारा तथ्यों को नहीं बताने के कारण वर्ष 1971 से 1974 तक के नामान्तरकरणों क्रमशः 188/ 01.06.1971 एवं 209/

15.04.1974 एवं जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 27.03.1974 को भी अपने अपीलाधीन आदेश से श्रवणाधिकार विहिन रूप से अपास्त कर दिया है। हम यह पाते है कि तहसीलदार का अपीलाधीन आदेश पूर्णतया श्रवणाधिकार विहिन तथा तथ्यों से परे जाकर पारित किया गया आदेश है। विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि श्रवणाधिकार विरूद्ध पारित आदेश सक्षम आदेश नहीं होकर प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य होता हैं। तहसीलदार द्वारा पंचायत के आदेश की विधि के विरूद्ध अपील सुनकर तथ्यों से परे जाकर निर्णय पारित किया है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण 17/2009 में पारित निर्णय दिनांक 08.07.2010 को अपास्त किया जाता है। पक्षकारान/ रेस्पोडेन्ट सक्षम न्यायालय में अपने अधिकारों की पृथक से चाराजोही करने को स्वतंत्र है।

उपरोक्त समस्त विवेचना अनुसार हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official